

**राजस्थान सरकार**  
**कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर**

विभाग में वर्ष 2017-18 में संचालित योजनाओं एवं उपलब्धियों की माह मई, 2017 की प्रगति का विवरण -

**1. मण्डी शुल्क से प्राप्त आय**

अ. मण्डी शुल्क की गत वर्ष से चालू माह तक की तुलनात्मक आय

|                               |                               |                |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------|
| अप्रैल 2015 से मार्च, 2016 तक | अप्रैल 2016 से मार्च, 2017 तक | प्रतिशत वृद्धि |
| 53615.64 लाख रू.              | 59681.44 लाख रू.              | +11.31         |

ब. चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मण्डी शुल्क से आय गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में

|                  |                  |                |
|------------------|------------------|----------------|
| मई, 2016 तक      | मई, 2017 तक      | प्रतिशत वृद्धि |
| 13728.22 लाख रू. | 15650.37 लाख रू. | +14-00         |

प्रत्येक माह का मण्डी शुल्क अगले माह की 7 तारीख तक जमा होता है। राज्य की सभी मण्डियों में फल एवं सब्जी पर दिनांक 22.6.15 से 1.50 प्रतिशत उपयोक्ता प्रभार (user charges) लागू किया गया है। जो मण्डी शुल्क की आय में सम्मिलित है।

**2. स्वीकृत निर्माण कार्य :**

वर्ष 2016-17 व वर्ष 2017-18 में निदेशालय द्वारा मण्डी समितियों से प्राप्त प्रस्तावों पर जारी की गई निर्माण कार्यों की स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है:-

| क्र. सं. | निर्माण कार्य का नाम      | स्वीकृत राशि (राशि करोड रू. में) |               |                                |               |
|----------|---------------------------|----------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|
|          |                           | वर्ष 2016-17                     |               | वर्ष 2017-18<br>( मई, 2017 तक) |               |
|          |                           | प्रशा.स्वी.                      | वित्तीय स्वी. | प्रशा.स्वी.                    | वित्तीय स्वी. |
| 1        | मण्डी प्रांगण विकास कार्य | 277.89                           | 109.05        | 6.87                           | 4.79          |
| 2        | सम्पर्क सडक               | 170.49                           | 81.42         | 32.67                          | 20.01         |
|          | योग                       | 448.36                           | 190.47        | 39.54                          | 24.80         |

नोट- सभी स्वीकृतियां निदेशालय से जारी की गई हैं।

### 3. एगमार्क वर्गीकरण:

कृषि विपणन विभाग के अन्तर्गत राज्य में 8 एगमार्क प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। एगमार्क प्रयोगशालाओं से प्राप्त वर्गीकरण शुल्क की आय का विवरण निम्नानुसार है:-

| वर्ष                      | वर्गीकरण शुल्क से आय (राशि लाख रु.में) |
|---------------------------|--|
| 2016-2017                 | 53.22                                  |
| 2017-2018 ( मई, 2017 तक ) | 8.71                                   |

4. मुख्यमण्डी यार्ड/गौण मण्डी यार्डों की स्थापना: राज्य में कृषि जिन्सों की क्रय-विक्रय हेतु वर्तमान में 141 मुख्यमण्डी यार्ड एवं 314 गौण मण्डी यार्ड स्थापित है।

- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.4(22)कृषि/गुप-2/2008 दिनांक 12.05.2016 के द्वारा मण्डी समितियों का श्रेणीकरण निम्नानुसार किया गया-

#### मण्डी समितियों का श्रेणीकरण

| श्रेणी           | मण्डी शुल्क से प्राप्त वार्षिक आय (रूपये में) | मण्डियों की संख्या |
|------------------|---|--------------------|
| 'विशिष्ट' श्रेणी | 500 लाख रु. या उससे अधिक                      | 27                 |
| 'अ' श्रेणी       | 350 लाख रु. या अधिक लेकिन 500 लाख रु. से कम   | 21                 |
| 'ब' श्रेणी       | 200 लाख रु. या अधिक लेकिन 350 लाख रु. से कम   | 30                 |
| 'स' श्रेणी       | 75 लाख रु. या अधिक लेकिन 200 लाख रु. से कम    | 42                 |
| 'द' श्रेणी       | 75 लाख रु. से कम वार्षिक आय                   | 21                 |

### 5. राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना-2009 :-

किसान जीवन कल्याण योजना को संशोधित कर दिनांक 9.12.09 से "राजीव गाँधी कृषक साथी सहायता योजना-2009" लागू की गई। इसके अन्तर्गत अब कृषकों/खेतीहर मजदूरों को कृषि अथवा कृषि विपणन कार्य करते समय मृत्यु की दशा में 50,000 रु. के बजाय 1,00,000 रु की गई थी जो अब 2,00,000 रु. कर दी गई है एवं दो अंग-भंग होने की स्थिति में 30,000 रु. के बजाय 50,000 रु. की सहायता प्रदान की गयी है। अन्य घटनाओं पर दी जाने वाली सहायता राशि में भी वृद्धि की गई है। वर्ष 16-17 में माह मार्च, 2017 तक 2777 व्यक्तियों को 3758.20 लाख रु. की सहायता राशि उपलब्ध करावाई गई है। वर्ष 2017-18 में माह मई, 2017 तक में 420 व्यक्तियों को 590.15 लाख रु. की सहायता राशि उपलब्ध करवायी गई।

